संख्या–सा–3–जी०आई०–13/दस–901/94

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 13 सितम्बर, 1995

विषय :–मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाना तथा उपादान की धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–सा–3–जी० आई०–32/दस–901/94, दिनांक 21-2-1994 में की गई व्यवस्था के अधीन दिनांक 16-9-1993 को अथवा इस तारीख के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते जैसा कि दिनांक 1 मार्च, 1988 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 729.91 के औसत से जोड़ा गया था, के एक भाग को अर्थात् मूल वेतन के 20 प्रतिशत को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा।

2—उक्त आदेशों के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को अथवा इस तिथि के उपरान्त सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों की गणना करने के लिए नीचे दिए अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 से जुड़े महंगाई भत्ते को, महंगाई वेतन के रूप में गिने जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है :–

वेतन श्रेणियाँ	उपादान गणना के लिए वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ना
1— मूल वेतन प्रत्येक माह 3500 रुपये तक।	वेतन का 97 %
2— मूल वेतन प्रत्येक माह 3500 रुपये से अधिक, परन्तु प्रत्येक माह 6,000 रुपये से कम	वेतन का 73% परन्तु कम से कम 3,395 रुपये।
3— मूल वेतन प्रत्येक माह 6,000 रुपये से अधिक।	वेतन का 63% परन्तु कम से कम 4,380 रुपये।

3—उपर्युक्त दरों में, शासनादेश संख्या–सा–3–जी०आई०–32/दस–901/94, दिनांक 21 फरवरी, 1994 के अनुसार 16 सितम्बर, 1993 से सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ पहले से ही मूल वेतन का 20% के बराबर महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन के रूप में सम्मिलित हैं।

4—राज्यपाल महोदय ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त उपादान/मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि एक लाख रुपये की सीमा को 1 अप्रैल, 1995 से बढ़ाकर 2.50 (दो लाख पचास हजार मात्र) कर दी जाए।

5—ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनकी 1 अप्रैल, 1995 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो गई, की सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान को पेंशन स्वीकृताधिकारी द्वारा इन आदेशों के आधार पर स्वप्रेरणा से पुनः परिकलित की जाए, यदि कोई बकाया है तो उसका भुगतान किया जाए।

6—उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के संबंधित नियम में औपचारिक संशोधन को अलग से जारी किया जाएगा ।

7—उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित महंगाई वेतन केवल सेवानिवृत्ति उपादान और मृत्यु उपादान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की गणना के लिए ही गिना जाएगा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल,

प्रमुख सचिव।

संख्या-सा-3-जी०आई०-13(1)/दस-901/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2—विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय।

3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।

4—समस्त मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

5—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

6—निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8—वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9—इरला चेक अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 79 सा० वित्त—16-9-95—(3133)—11,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।